

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची  
एफ० ए० संख्या—७३ / २०१३  
के साथ  
आई० ए० संख्या ४५५२ / २०१३

- शाहीना परवीन, पति—शाहब अहमद
- सना अमरीन नाबालिंग बेटी, शाहब अहमद जो अपनी माँ शाहिन परवीन के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया, वर्तमान में काबरा खुर्द, थाना—हैदर नगर, डाकघर—काबरा खुर्द, जिला—पलामू में निवास करती है।

..... ..... अपीलकर्त्तागण

बनाम

शाहब अहमद, पुत्र—श्री अनीश अहमद, मोहल्ला—पहाड़ी कुंड, डाल्टनगंज टाउन, डाकघर और थाना—मेदिनी नगर टाउन, जिला—पलामू।

..... ..... प्रतिवादी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी० एन० पटेल

अपीलार्थी के लिए :— श्री जय शंकर त्रिपाठी, अधिवक्ता।

आदेश सं० ११: दिनांक १२ दिसम्बर, २०१४

वीरेन्द्र सिंह, मु० न्याया० के अनुसार,

- अपीलकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि अपीलकर्त्ता संख्या १ को आक्षेपित आदेश को क्रियान्वयन करने हेतु और यदि परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो तो भरण—पोषण के बढ़ोतरी हेतु भी दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १२८ के तहत एक आवेदन को दाखिल करने की सलाह दी जाएगी। इसलिए तत्काल अपील को वापस लेने के लिए प्रार्थना करते हैं।
- इस अपील को तदनुसार वापस लेने के वजह से खारिज कर दिया जाता है।
- परिणामस्वरूप, आई० ए० संख्या ४५५२ / २०१३ का भी निपटारा किया जाता है।

(वीरेन्द्र सिंह, मु० न्याया०)

(डी० एन० पटेल, न्याया०)